

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्या: 08/2020

GCMS No:- 2020/00040

सरकार जरिये विनोद कुमार थारवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

श्री विकास खण्डेलवाल पुत्र श्री नन्द किशोर खण्डेलवाल (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स सुनिता इण्डस्ट्रीज,
एच-53, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बस्सी, जयपुर।



... अप्रार्थी-अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 12/07/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2018 को समय 02.30 पी.एम. बजे मैसर्स सुनिता इण्डस्ट्रीज, एच-53, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बस्सी, जयपुर पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री विकास खण्डेलवाल पुत्र श्री नन्द किशोर खण्डेलवाल उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना जाहिर किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय करने हेतु खाद्य पदार्थ बुरा तैयार शुदा लगभग 60 किलो के ढेर से 25 व 50 किलो के प्लास्टिक बैगो में भर कर रखी जा रही थी मिलावट का शक होने पर उक्त में से 1 किलो बुरा क्य कर जिसकी कीमत 40/- रुपये का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री लालाराम एवं श्री श्याम सुन्दर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विकास खण्डेलवाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 की एक प्रति विक्रेता श्री विकास खण्डेलवाल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलो बुरा चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के चौड़े मुंह की बोतलो में बराबर-बराबर डालकर व ढक्कन लगाकर एयरटाईट बंद किया तथा चारो नमूना बोतलो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-1525 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर **AN-1525** नियमानुसार चारों नमूना बोटलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जापते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 26.12.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1829/एक्ट/2018/519 दिनांक 30.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बुरा सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक/ एफएसएसए /2020/331 दिनांक 17.08.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टैण्डर्ड बुरा का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री शकील खान (अप्रार्थी प्रतिनिधि) उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ बुरा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक



अभियुक्त कलक्टर (प्रियम)
जयपुर

अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शकील खान उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 25.02.2021 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट अनुसार कुल 7 में से कम सं. 1 से 7 तक की **Quality Characteristics** बिल्कुल सही एवं मानदण्डों/मानको के अनुरूप पाया गया है केवल कम संख्या 2 पर वर्णित **extraneous matter by weight 0.80%** पाया गया है, जो मानक के हिसाब से **0.1%** से अधिक नहीं होना चाहिये। जांच रिपोर्ट में कम संख्या 2 पर वर्णित **extraneous matter by weight** की रिपोर्ट के आधार पर उत्पाद को **Sub-Standard** करार दिया गया है। प्रार्थी/आरोपी आगे से इसका पूर्ण ध्यान रखेगा, शिकायत का मौका नहीं देगा। अप्रार्थी ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थी ने अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी-अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी-अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 15000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण-अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट-प्रथम जयपुर

